न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 41 / 2022

ता0 रजू 16.05.2022

GCMS ID-2022/11

उनवान

1. परमालाल आ0 भूरा जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–वादी–

बनाम

1. बाबूलाल आ0 भूरा जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रामेश्वर आ0 भूरा जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. जगनलाल आ0 भूरा जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. सुरजमल आ0 भूरा जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. ग्यारस्या आ0 शंकर जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. श्यामा आ0 शंकर जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. महावीर आ0 स्व0 हरदेव जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. नेमीचन्द आ0 स्व0 हरदेव जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. घासी आ0 स्व0 डालू जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
10. घीसी पुत्री स्व0 डालू जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
11. श्रीमती प्यारी पत्नी स्व0 डालू जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
12. राजमल आ0 माधो जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
13. लालचन्द आ0 लखमा जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
14. श्रीमती भूरी बाई पत्नी लखमा जाति कुमरावत निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
15. श्रीमती सीता बाई पुत्री लखमा पत्नी उदा जाति कुमरावत निवासी हाल मुकाम अलोद निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
16. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत :– तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

। महेन्द्र कुमार जैन वकील वादीगण
प्रतिवादी 2 लगायत 4 श्री शम्भूदयाल शर्मा 5 लगायत 10 व 12 श्री हरिनारायण मीणा
11, 13, 14, 15 एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांकः—24.03.2025

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 सगे भाई है। वादी व प्रतिवादीगण के पिता भूरा जी का स्वर्गवास हो चुका है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 04 के पूर्वजों से आई हुई सम्पत्तियॉ अशोक नगर व बडानयागांव पटवार हल्का बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है और उक्त भूमियॉ राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त रूप से अंकित है। भूमि खसरा संख्या 2766 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खाता संख्या 2768 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खाता संख्या 2769 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, खाता संख्या 2770 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खाता संख्या 2771 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 59.08 हैक्टेयर वाके ग्राम अशोक नगर पटवार मण्डल बडानयागांव खाता संख्या 87 सम्वत 2076—79 में वादी का हिस्सा 1/24 प्रतिवादी क्रम संख्या 1 बाबूलाल का 11/96 प्रतिवादी क्रम संख्या 2 रामेश्वर का हिस्सा 11/96 प्रतिवादी संख्या 3 जगनलाल का हिस्सा 11/96 प्रतिवादी सुरजमल का हिस्सा 11/96 प्रतिवादी क्रम संख्या 5 और 6 प्रत्येक का हिस्सा 1/8 है। प्रतिवादी 9, 10 और 11 का प्रत्येक का हिस्सा 1/36, 1/36, प्रतिवादी 7 व 8 का प्रत्येक का हिस्सा 1/24, 1/24 एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 10 राजमल का हिस्सा 1/12 अंकित है। जमाबंदी साथ में संलग्न है। जमाबंदी सम्वत 2076—79 खाता संख्या 88 में भूमि खसरा संख्या 2755 रकबा 0.3076, खसरा संख्या 2760 रकबा 0.0486, खसरा संख्या 2761 रकबा 0.2157, खसरा संख्या 2763 रकबा 0.1214 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7933 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें राजस्व रेकार्ड में वादी का 19/135 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 19/35 हिस्सा अंकित है। ग्राम अशोकनगर तह0 हिण्डोली जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या 86 में खसरा संख्या 2711 रकबा 0.5747 हैक्टैयर स्थित है राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/27, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का हिस्सा 25/216 प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का प्रत्येक का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का प्रत्येक का हिस्सा 1/24 प्रतिवादी संख्या 9 से 11 का प्रत्येक का हिस्सा 1/36, 1/36 प्रतिवादी संख्या 12 का हिस्सा 1/12 अंकित है। ग्राम बडानयागांव तहसील हिण्डोली के जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 खाता संख्या 427 में भूमि खसरा संख्या 2821 रकबा 0.1052 खसरा संख्या 2822 रकबा 0.3318, खसरा संख्या 2890 रकबा 0.3157, खसरा संख्या 2891 रकबा 0.5827, खसरा संख्या 2892 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2894 रकबा 0.6556 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2895 रकबा रकबा 0.1376 हैकटेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.3876 जिसमें वादी का 19/135 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 29/135 हिस्सा अंकित है। ग्राम बडानयागांव तह हिण्डोली के जमाबंदी सम्वत 2076—79 खाता संख्या 430 में से भूमि खसरा संख्या 2976 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2977 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2980 रकबा 0.1942 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.6475 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/27 प्रतिवादी 1 से 4 का हिस्सा 2/27 एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 प्रत्येक का हिस्सा 1/8,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तिवादी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी संख्या 9 से 11 प्रत्येक का हिस्सा 1/36 एवं प्रतिवादी संख्या 12 का हिस्सा 1/12 एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 13 से 15 प्रत्येक का हिस्सा 1/18 अंकित है। वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमियों में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फोरलेन में भूमि अवाप्त कर फोरलेन का रोड बना दिया है जिसके कारण उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 2768, 2770 व 2771 दो टूकडों में विभक्त हो गई है। शेष बचे टुकडे रोड में जाने के बाद किनारे पर आ जाने से भूमि की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को वाद में विवादित आराजी जिसका जिक वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 में किया गया है, पर किसी भी किस्म का निर्माण करने का अधिकार नहीं है और न व्यावसायिक गतिविधिंया करने का अधिकार है। वाद में विवादित कृषि भूमियॉ जिनका जिक वादी पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में किया गया है, का किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा न तो आवसीय कार्य के लिए और व्यावसायिक कार्य के लिए परिवर्तन किया गया है इसलिए संयुक्त खातेदारी भूमियों में किसी भ्झी खातेदार को किसी भी खसरा नम्बर में आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग में लेने का अधिकार नहीं है। वादपत्र की चरण संख्या 3 से 7 में वर्णित कृषि भूमियों का पक्षकारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ हैं संयुक्त रूप से सभी पक्षकार भूमियों पर काबिज है। व्यवस्था के हिसाब से वादी पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी में से पक्षकारों के मध्य मौखिक बंटवारा हो रहा है और उसी बंटवारे व समझौते के अनुसार आपसी सहमति से अलग–अलग भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी खसरा संख्या 2770 व 2771 पर प्रतिवादी संख्या 5 से 12 में काबिज काश्त है एवं शेष भूमि पर आपसी सहमति से खसरा संख्या 2766, 2768, व 2769 पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से काबिज है। इसी प्रकार चरण संख्या 3 से 7 में वर्णित कृषि भूमियों पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रभावशाली व ताकतवर व्यक्ति है प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने बिना किसी सक्षम अधिकारियों से भूमि की किस्म परिवर्तन करवाये बिना खसरा संख्या 2769, 2755 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य व्यावसायिक गतिविधियॉ करने हेतु किया जा रहा है। वादी द्वारा मना करने पर भी निर्माण कार्य नहीं रोक रहे हैं। निर्माण कार्य 11.05.2022 से चालू कर दिया है। खसरा संख्या 2769 में बिना बंटवारा हुए प्रतिवादीगण 2 से 4 ने ईट भटटा के लिए सामान डाल कर ईटों का भटटा खडा कर दिया और ईंटों का निर्माण चालू करने पर आमादा है इसी प्रकार खसरा संख्या 2755 में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने बिना बंटवारा कराये दुकानों के लिए नीवे भरना चालू कर दिया और दूकाने बनाने पर आमादा है। मना करने पर मारपीट पर आमादा होते है। वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र में वर्णित वाद पर की चरण संख्या 3 से 7 में वर्णित भूमियों का विधिवत बंटवारा करवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से मना कर दिया। इसलिए बंटवारा के लिए व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद कारण 11.05.2022 से लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ताकतवर व प्रभावशाली व्यक्ति है। पूर्व में भी प्रतिवादीगण ने वादी की माता फूमाबाई बहन जमना पार्वती व प्रेमबाई के नाम जमीनों में निहित हिस्से को अपने नाम करवा लिया था। वादपत्र की चरण संख्या 3 से 7 ताकत के बल पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

,युक्त खाते में अंकित कृषि भूमि व संयुक्त खाते कृषि के वादी के उपयोग व उपभोग में एवं वादी के कब्जे में दखलन्दाजी कर रहे है एवं संयुक्त खाते की कृषि भूमियॉ खसरा संख्या 2769 व 2755 की किस्म को परिवर्तित कर रहे है। ऐसा करने से वादी को बंटवारा कराने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वाद कारण उत्पन्न हो रहा है। वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि बंटवारा हुए बिना उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियों में आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियॉ चालू नहीं करे। वादी वादपत्र की चरण संख्या 3 से 7 में वर्णित कृषि भूमियों मे से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी जो भी उसके हिस्से में आये उसे अलग करवाकर अपने नाम करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने वादी के हिस्से सहित वादपत्र की चरण संख्या 3 से 4 में वर्णित कृषि भूमियों को जबरन ताकत के बल पर आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में लेने के लिए 11.05.2022 से निर्माण शरू कर रखे है। ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। दौराने वाद यदि निर्माण कर लिया जाता है तो उसे हटवाया जाकर सम्पत्ति को आदेशात्मक आज्ञा से पूर्ववत् स्थिति में लाये जाने का भी अधिकारी है। वाद कारण 11.05.2022 से वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमियों में प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 द्वारा आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ गतिविधियॉ शुरू करने, वादी द्वारा बंटवारे के लिए कहने व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों को बन्द करने व बंटवारा करने का इनकार करने पर लगाता उत्पन्न हो रहा है। अतः वाद अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 16 भूमिधारी होने से उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 16 के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गई है। वाद आवश्यक प्रकृति का है यदि राजस्थान राज्य को दो माह का नोटिस देकर वाद प्रस्तुत किया गया तो वादी का वाद प्रस्तुत करना बेकार हो जायेगा। ऐसी स्थिति में वाद बिना नोटिस दिये प्रस्तुत किया जा रहा है। धारा 80(2)सीपीसी का आवेदन पृथक से संलग्न है। विवादित भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है एवं वाद कारण श्रीमान के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है तथा पक्षकारान भी श्रीमान के क्षेत्राधिकार के निवासी है। अतः श्रीमान को वाद सुनने का अधिकार है। अतः श्रीमान से निवेदन है वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिग्री वाद व्यय सहित प्रदान की जावे – वादपत्र की चरण संख्या 3 से 7 की में वर्णित कृषि भूमियों को का विधिवत बंटवारा करवाया जाकर वादी के हिस्से में अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी भूमि जो भी कृषि भूमि को के हिस्से में आये उस कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अमल फरमाया जाये। प्रतिवादीगण 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि विवादित कृषि भूमियों में बंटवारा होने तक किसी प्रकार का अकृषि कार्य व निर्माण नहीं करें, व वादी के हिस्से तक कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमियों को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने के लिए निर्माण कर लिया जाये तो आदेशात्मक आज्ञा द्वारा उसे हटाया जाकर भूमियों को पूर्ववर्त स्थिति में लाया जाये। वादी के हिस्से में जो भी कृषि भूमि आये उसी अनुरूप पक्षकारों के मध्य कब्जे में रद्दोबदल भी फरमाया जाये। अन्य न्यायेचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो भी दिलायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। तथा प्रतिवादी नं. 02 लगायत 04 के द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन आपसी सहमति से सहखातेदान् हिस्सेनुसार काबिज होकर अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है और मौके पर हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी 2 लगायत 4 सभी सहखातेदारों की सहमति से भूमि पर व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। प्रतिवादी हिस्सेनुसार व मौके पर कब्जे के अनुसार बंटवारा कराने को तैयार है। विकल्प में प्रतिवादी जगन द्वारा सभी खातेदारों की सहमति व अनुमति से अपनी हिस्से की भूमि पर व्यवसाय कर रहा है और प्रतिवादी जगन ने अपने व्यवसाय में काफी पैसा लगा दिया है ऐसी स्थिति प्रतिवादी के कब्जे की भूमि प्रतिवादी जगन के हिस्से में रखी जावे। प्रतिवादीगण पूर्व से ही मौके पर काबिज है और सभी सहखातेदारों की सहमति से प्रतिवादी 2 लगायत 4 ने अपने हिस्से की भूमि को समतल करवा कर काफी पैसा करवा कर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। ऐसी स्थिति में उनके कब्जे की भूमि इनके हिस्से में रखी जाकर भूमि का बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने सभी प्रतिवादीगण व वादी की सहमति से भूमि पर कब्जा प्राप्त कर अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग वास्ते भूमि को समतल करवा कर काफी पैसा लगाकर भूमि पर व्यवसाय कर रहे है और मौके पर काबिज चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में कब्जे के संबंध में मौके की रिपोर्ट मंगवा कर कब्जे व हिस्से के अनुसार बंटवारा करने में प्रतिवादी अपनी सहमति प्रकट करते है। उक्तानुसार बंटवारा करने में प्रतिवादी 2 लगायत 4 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 व 12 की ओर से मौके व रिकॉर्ड अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 11, 13, 14, 15 वाबजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। प्रतिवादी संख्या 16 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 86, 87, 88 ग्राम अशोक नगर व खतौनी संख्या 427, 430 ग्राम बडानयागांव सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम अशोकनगर/बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव तहसील हिण्डोली पेश किये है।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र/प्रतिवादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण को भी मुताबिक रिकॉर्ड के बंटवारा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत हैं।

दावा दिनांकः– 04.10.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व / 24 / 1009 दिनांक:– 30.05.2024 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। पक्षकारान के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम अशोकनगर / बडानयागांव की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार कां नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. जगनलाल पुत्र भूरा हिस्सा 2 / 9 जाति कुमरावत 2. परमालाल पुत्र भूरा हिस्सा 1 / 9 जाति कुमरावत 3. बाबूलाल पुत्र भूरा हिस्सा 2 / 9 जाति कुमरावत 4. रामेश्वर पुत्र भूरा हिस्सा 2 / 9 जाति कुमरावत 5. सुरजमल पुत्र भूरा हिस्सा 2 / 9 जाति कुमरावत सा0 देह खातेदार (भूमि ग्राम बडानयागांव)	2977 में से 2980	0.0217 0.1942
	योग	किता– 2	0.2159
2.	1. ग्यारसा पुत्र शंकर हिस्सा 1 / 4 जाति कुमरावत 2. श्यामा पुत्र शंकर हिस्सा 1 / 4 जाति कुमरावत 3. घासी पुत्र डालू हिस्सा 1 / 18 जाति कुमरावत 4. घीसी पुत्री डालू हिस्सा 1 / 18 जाति कुमरावत 5. नेमीचन्द पुत्र हरदेव हिस्सा 1 / 12 जाति कुमरावत 6. महावीर पुत्र हरदेव हिस्सा 1 / 12 जाति कुमरावत 7. प्यारी पुत्री डालू हिस्सा 1 / 18 जाति कुमरावत 8. राजमल पुत्र माधो हिस्सा 1 / 6 जाति कुमरावत सा0 देह खातेदार (भूमि ग्राम बडानयागांव)	2976 में से 3177 2977 में से	0.0297 0.2914 0.0026
	योग	किता–3	0.3237
3.	1. लालचन्द पुत्र लक्खा हिस्सा 1 / 3 जाति कुमरावत 2. सीताबाई पुत्री लक्खा हिस्सा 1 / 3 जाति कुमरावत 3. भूरीबाई पत्नी लक्खा हिस्सा 1 / 3 जाति कुमरावत सा0 देह खातेदार (भूमि ग्राम बडानयागांव)	2976 में से	0.1079
	योग	किता–1	0.1079

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम

4.	1. जगनलाल पुत्र भूरा हिस्सा 199/864 जाति कुमरावत 2. परमालाल पुत्र भूरा हिस्सा 17/216 जाति कुमरावत 3. बाबूलाल पुत्र भूरा हिस्सा 199/864 जाति कुमरावत 4. रामेश्वर पुत्र भूरा हिस्सा 199/864 जाति कुमरावत 5. सुरजमल पुत्र भूरा हिस्सा 199/864 जाति कुमरावत सा0 देह खातेदार, रहिन जगनलाल, बाबूलाल का हिस्सा सम्पूर्ण बी0आर0के0जी0बी0 बैंक सथूर मु0बि0क0, सुरजमल का हिस्सा खसरा संख्या 2711 पर बी0आर0के0जी0बी0 बैंक सथूर मु0बि0क0 (भूमि ग्राम अशोक नगर)	2711 में से 2766 में से 2769 2771 में से	0.2873 0.0688 0.2104 0.0122
	योग	किता– 4	0.5787
5.	1. ग्यारसा पुत्र शंकर हिस्सा 1/4 जाति कुमरावत 2. श्यामा पुत्र शंकर हिस्सा 1/4 जाति कुमरावत 3. घासी पुत्र डालू हिस्सा 1/18 जाति कुमरावत 4. घीसी पुत्री डालू हिस्सा 1/18 जाति कुमरावत 5. नेमीचन्द पुत्र हरदेव हिस्सा 1/12जाति कुमरावत 6. महावीर पुत्र हरदेव हिस्सा 1/12 जाति कुमरावत 7. प्यारी पुत्री डालू हिस्सा 1/18 जाति कुमरावत 8. राजमल पुत्र माधो हिस्सा 1/6 जाति कुमरावत सा0 देह खातेदार (भूमि ग्राम अशोक नगर)	2711 में से 2766 में से 2770 2771 में से	0.2874 0.0688 0.0324 0.1901
	योग	किता–4	0.5787
6.	1. ग्यारसा पुत्र शंकर वगै0 जमाबंदी अनुसार बदस्तूर रहेगा हिस्सा 1/4 जाति कुमरावत (भूमि ग्राम अशोक नगर)	2768	0.0081 गै0मु0चाह

नोट :– ग्राम अशोक नगर का खाता संख्या 88 व ग्राम बडानयागांव का खाता संख्या 427 बदस्तूर जमाबंदी अनुसार रहेंगे।

नक्शे में वादी व प्रतिवादी के हिस्सो में रहने वाली भूमियों को अलग–अलग रंगों से दर्शाया गया है। (नक्शा संलग्न है।) तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली